न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 59/2019(GCMS : 2019/00099)

डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड पता एस–5, सैकिण्ड फ्लोर, गीजगढ टावर, हवा सड़क, सिविल लाईन, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कैलाश शर्मा

बनाम

1. **सत्येन्द्र कुमार रॉयल** पुत्र श्री राजकुमार रायल पता प्लॉट नं. 854, आबादी गणेश नगर, जिला श्रीगंगानगर–335027 एवं नियर गाबी फ्लोर मिल, वार्ड नं. 14, गणेशगढ, श्रीगंगानगर–335001
2. **राजकुमार** पुत्र दयालचंद पता गांव पोस्ट चेक गणेश गृह, श्रीगंगानगर–335001 एवं प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ, जिला श्रीगंगानगर
3. **श्रीमती कोमल** पत्नी सत्येन्द्र कुमार पता वार्ड नं. 8, गांव गणेशगढ बारानी, श्रीगंगानगर (राज.)–335001 एवं प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजकुमारी जैन ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2019 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सत्येन्द्र कुमार, राजकुमार एवं कोमल को ऋण सुविधा के रूप में राशि 4.55/–लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पच्चपन हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 30.09.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राज कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ(क्षेत्रफल 785 वर्गफीट), श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सत्येन्द्र कुमार, राजकुमार एवं कोमल को 4.55/– लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पच्चपन हजार मात्र)** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.09.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमार **ने अपनी अचल सम्पति प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ(क्षेत्रफल 785 वर्गफीट), श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.09.2018 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 11.09.2018** को जारी कर दिनांक 11.09.2018 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी राजकुमार की **अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ,(क्षेत्रफल 785 वर्गफीट) श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.09.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.09.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस [illegible] **को दिनांक 11.09.2018 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके [illegible] अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजकुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी राजकुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 854, आबादी गणेशगढ,(क्षेत्रफल 785 वर्गफीट) श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:32:18 IST
Reason: SelfAttested